spicuous place of the licensed premises.

S.C. PODDAR, Commissioner

दिल्ली उच्च न्यायालय

अधिसूचना

दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2001

सं. 174/नियम/डीएचसी : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 के अधिनियम सं. 5) की धारा 129 तथा दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 के अधिनियम सं. 26) की धारा 7 तथा अन्य समस्त शक्तियां, इस सन्दर्भ में सामर्थ हैं, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली (मूल शाखा) नियम, 1967 के अध्याय XXIII में निम्नलिखित संशोधन तुरन्त प्रभाव से करते हैं :—

अध्याय XXIII की वर्णित अनुसूची (फीस की तालिका) के वर्तमान पैरा डी (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायगा।

(3) आयुक्त के द्वारा शपथ पत्रों का, शपथों का अथवा न्यायालय में प्रतिज्ञान करवाने हेतु, इन समस्त शपथ-पत्रों, शपथ अथवा प्रतिज्ञान को अनुप्रमाणित करने का शुल्क—रुपये 10.00

न्यायालय के आदेशानुसार

भारत भूषण, निबन्धक जनरल

HIGH COURT OF DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2001

No 174/Rules/DHC : In exercise of the powers conferred by Section 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908) and Section 7 of Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi hereby makes the following amendments in Chapter XXIII in the Delhi High Court (Orginal Side) Rules, 1967 with immediate effect :—

THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING PARA D (3) OF SCHEDULE (TABLE OF FEES) TO CHAPTER XXIII :—

(3) Fees of Commissioners for attesting affidavits oaths, or affirmations at the Court House, for every affidavit, oath or affirmation — Rs. 10.00

By Order of the Court,

BHARAT BHUSHAN,

Registrar General.

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2001

सं. 20/5/2000/गृ.पु.-II/6579.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 की 66) की धारा 469 तथा नई दिल्ली नगर परिषद् अधिनिमय, 1994 (1994 की 44) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को, जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का 2) की धारा 18(1) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना सं. 402/राजपत्र/VI/इ.2(ए) वि.भ.म. दिनांक 21 मई, 2001 के द्वारा विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां प्रदान हैं, को कूड़ा फैलाने, सफाई सम्बन्धी कृत्यों तथा जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी अपराधों के मुकदमों की सुनवाई के लिए दिल्ली महानगर क्षेत्र में म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट की शक्तियां उस समय तक प्रदान करते हैं जब तक उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं।

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	अधिसूचना सं. एवं तिथि
1	2	3
1.	श्री सुदीप विश्वास	402/राजपत्र/VI/इ.2(ए) वि.भ.म. दिनांक 21-5-2001
2.	श्री आर.के. अग्रवाल	—वही—
3.	श्री ओम प्रकाश	—वही—
4.	श्री एस.पी. कंवल	—वही—
5.	श्री आर.के. भैंडवाल	—वही—
6.	श्री वाई.पी. सेठी	—वही—
7.	श्री के. एन. ग्रोवर	—वही—
8.	श्री वी.डी. शर्मा	—वही—
9.	श्री एस. घोष	—वही—
10.	श्री एस.पी. रात्रा	—वही—
11.	श्री एस. के. बक्शी	—वही—
12.	श्री एम.एम.एस. दुग्गल	—वही—
13.	श्री जी.सी. गुप्ता	—वही—
14.	श्री ए०एस० बेदी	—वही—
15.	श्री सी.एल. बेदी	—वही—
16.	श्री पी.सी. अग्रवाल	—वही—
17.	श्री अत्तर सिंह	—वही—